हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त, 2016 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

23/08/2016/11.00/TCV/AS/1

<u>प्रश्न सं0 2472</u>

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, वह लगभग 300 पेज़ों की है और केवल तीन महीनों का यह लेखा-जोखा है। सचमुच यह आंकड़े चिन्ताजनक है। अध्यक्ष महोदय, केवल कुत्तों के काटने के केसिज़ तीन महीनों में 5 हज़ार से अधिक बताए गए हैं। इनमें शिमला में 836, सिरमौर में 805 और कांगड़ा में 1539 केसिज़ बताएं गए हैं। लेकिन आपका जो मुआवज़ा देने का तरीका है, अनेकों स्थानों पर चाहे बाघ ने काटे हों, चाहे कुत्ते ने काटे हों या सांड ने मारे हो वह बहुत लम्बा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनमें से कितने केसिज़ पैंडिंग हैं जिनको अभी तक भी जो मुआवज़ा वन विभाग देता है, वह नहीं दिया गया है और आपने कितना पैसा उनको दिया जिनका ईलाज हुआ है? मैं विशेषकर कुत्तों की बात कहूंगा, जब पागल कुत्ता काटता है, तो कसौली में जो वैक्सीन तैयार होती है, वह लगाई जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे लोग थे जिनको पागल कुत्तों ने काटा और उनको वैक्सीन लेने के लिए कसौली जाना पड़ा? क्योंकि ये कुत्ते भी सरकार के पाले हुए हैं, किसी और के नहीं है। इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार उनका पूरा कॉम्पनसेशन दें और उनको निःशुल्क इंजैक्शन उपलब्ध करवाएं, तो क्या इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है कि वैक्सीन हॉस्पिटल में मुफ्त में लगे?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक जंगली जानवरों से काटने की बात हैं, पहले तो मैं श्री महेश्वर सिंह जी को सीट बदलने के लिए बधाई देता हूं। दूसरा, अब ये बैकबैंचर बन गये हैं, हमने इनको फ्रंट में रखा था। अब आप इनके बारे में ही पूछते रहेंगे। जहां तक कुत्तों की बात है, पहले तो मैं आपको फॉरेस्ट डिपार्टमैंट के बारे में बताऊंगा।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

23/08/2016/1105/NS/AS/1

प्रश्न संख्याः 2472-------क्रमागत।

वन मंत्री----------जारी

दिनांक 01-08-2015 से 07-11-2015 तक जंगली जानवरों, आवारा पशुओं एवं कुत्तों द्वारा लोगों पर हमले के निम्नलिखित मामले दर्ज़ किए गए। जो वन विभाग में दो लोगों की मृत्यु हुई उसमें एक को लैपर्ड ने काटा और दूसरे को भालू ने काटा। (व्यवधान) जहां तक कुत्तों की बात है, तो यह एनिमल हसबैंडरी विभाग के पास है, इन्होंने इसका जवाब देना है। फिर भी जो इतना बड़ा दस्तावेज़ आपके सामने पेश किया और इसमें इतना समय लगाया तथा इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ है, यह सारी इनफरमेशन डिटेल में है। (व्यवधान) जहां तक कुत्तों की बात है और कितने कुत्तों ने काटा, वह भी मैं आपको बता रहा हूं। कुत्तों के केसिज़ 8816 हैं और 8883 टोटल केसिज़ सारे प्रदेश में हुए हैं। जंगली जानवर जैसे कि बन्दरों के काटने के कुल 67 केसिज़ हैं। उसमें हमने 13 लाख 27 हज़ार 266 रूपये दिए हैं। वर्ष 2012 में जब आपने कानून बनाया था उस वक्त कॉम्पनसेशन नहीं देते थे। उसको हमने वर्ष 2014 में रिव्यू किया। पहले जंगली जानवरों के काटने पर कम पैसे मिलते थे परन्तु हमने इसको बढ़ा दिया है। अब एक भी वन विभाग का केस पैंडिंग नहीं है। जहां तक कुत्तों की बात है, तो हमने 16 मई, 2016 को प्रावधान कर दिया है कि जितने भी जानवर हैं, चाहे वह कुत्ता है, भालू या लैपर्ड है जो भी काटेगा उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। पहले जो ये केसिज़ हुए थे इनको कॉम्पनसेशन सिर्फ जंगली जानवरों का दिया गया है। इसका पहले कानून में कोई प्रावधान नहीं था। अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक्ट में तरमीम करके प्रावधान कर दिया है। इसके अनुसार 16 मई, 2016 के बाद जो केसिज़ होंगे उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा।

23/08/2016/1105/NS/AS/2

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि अब आपने पशुपालन विभाग का भी उत्तर दे दिया। परन्तु यह नहीं बतलाया कि जो पागल कुत्ता काटता है, उसके लिए जो वैक्सीन लगती है, वह ऑर्डिनरी नहीं लगती। लेकिन जो वैक्सीन कसौली में तैयार होती है, वह ऑर्डिनरी लगती है। उसकी कीमत प्रति वैक्सीन 20,000 से लेकर के 25,000 तक है। क्या इसको आपने निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है या नहीं?

वन मंत्रीः हमने मुआवज़ा तय किया है। जहां तक कुत्तों के काटने की बात है तो यह पशुपालन विभाग का सवाल है। You have to ask them. This is a separate question आपने फोरैस्ट के बारे में पूछा है, जंगली ज़ानवरों के बारे में पूछा है, तो हमने वह जवाब दे दिया है। लेकिन पागल कुत्ते के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो इसका जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसका जवाब पशुपालन विभाग देगा।

श्री महेश्वर सिंहः (व्यवधान) क्योंकि आपने उत्तर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी कहां पूछा कि बाघ ने दांत से काटा कि पंजे से मारा। इसमें जो भी है उसका सारा जवाब आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आज जो मुआवज़ा वन विभाग देता है, उसमें और जो राजस्व विभाग देता है उनमें दिन-रात का अंतर है। जैसे कि प्राकृत्तिक आपदा में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो राजस्व विभाग 4 लाख मुआवज़ा देता है। प्राकृत्तिक आपदा में अगर बिजली गिरे, कोई और घटना घट जाए तथा बाढ़ आ जाए तो उसमें भेड़-बकरी का भी दोगुना मुआवज़ा मिलता है। आपका मुआवज़ा कम है। आपका मुआवज़ा मरने पर भी सवा लाख या डेढ़ लाख से ज्यादा नहीं है।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

23/08/2016/1110/RKS/DC/1

प्रश्न संख्याः2472... जारी

श्री महेश्वर सिंह...क्रमागत

यह भी एक प्राकृतिक आपदा है क्योंकि क्या पता कब जानवर आए और काट जाए। क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने का प्रयास करेगी अथवा नहीं?

वन मंत्रीः जो आपने प्राकृतिक आपदा की बात की है, you are right that way. उसका अलग से मुआवज़ा मिलता है और जंगली जानवरों के काटने पर अलग से कंपनसेशन मिलता है। यह ठीक है कि आपने हमारे जहन में बात लाई है we can review it.

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय वन मंत्री जी ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर संबंधित विभाग देगा परन्तु जब माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था तो वह सरकार से पूछा था न कि किसी विभाग से पूछा था। यह सरकार ने तय करना था कि इस प्रश्न का उत्तर किसने देना है। ये सारे प्रश्न क्लब करके माननीय मुख्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिए था।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मंत्री जी ने यह कहा कि यह प्रश्न पशुपालन विभाग से करना चाहिए था।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत जायज़ है। इसमें बिल्ली के काटने के भी मामले हैं। शिमला ज़िला में 33, सोलन में 28, सिरमौर में 22, बिलासपुर में 17, मण्डी में 3 और कुल्लू ज़िला में 22 मामले बिल्ली के काटने के हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जिन व्यक्तियों को बिल्ली ने काटा है उन लोगों को भी मुआवज़ा मिलेगा या नहीं?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कम्पनसेशन का प्रावधान रूल के मुताबिक सबके लिए कर दिया गया है। जिसका नुकसान होगा उसे रूल के मुताबिक कम्पनसेशन मिलेगी। There is no problem. **Question Ends.**

23/08/2016/1110/RKS/DC/2

प्रश्न संख्याः 2602

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय अध्यक्ष जी, सूचना बड़े विस्तृत रूप से दी गई है लेकिन आज प्रदेश के अंदर किसान सबसे ज्यादा चिंतित हैं तो वे आवारा पशुओं से, जंगली जानवरों से और विशेषकर बंदरों से चिंतित हैं । पिछले पौने चार वर्षों से सरकार सदन में बार-बार आश्वासन देती रही है कि हम इस समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं, माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसमें इंटरवैंशन किया और सरकार को आदेश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गऊशालाएं खोली जाएं। यह गऊशालाएं कितनी खोली गई? प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि पुरानी गऊशालाएं चल रही हैं लेकिन नई गऊशालाएं पौने चार साल में सिर्फ 6 ही खोली गई हैं। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह सरकार किसानों के बारे में संवेदनहीन है। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी कुल 6 नई गौशालाएं ही खोली गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर हम इस गति से चले रहे तो आपका कार्यकाल एक साल बाद पूरा होने वाला है तब तक कितनी गौशालाएं और खोल दी जाएगी?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह ठीक है कि हाई कोर्ट ने 3,243 पंचायातों को निर्देश दिए थे कि हर पंचायत में एक गऊसदन बनाया जाए। परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह सचमुच में सम्भव नहीं है. There was an allotment of the money, which I would like to read out with the permission of the Hon'ble Speaker that उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में गऊशाला निर्माण करने के आदेश जारी किए गए हैं।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

23.08.2016/1115/SLS-DC-1

प्रश्न संख्या : 2602 .. जारी

माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (अधिकृत)...जारी

उक्त आदेशों के दृष्टिगत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 13वें वित्तायोग के निर्देशानुसार गऊशाला के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करवाई गई जिसका जिलावार विवरण भी दिया गया है। यह विवरण आपके पास पहुंच गया होगा और यदि पहुंचा है तो आपने पढ़ भी लिया होगा। माननीय सदस्यों को मैं इतना बता देना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार ने इस ओर पूरे सार्थक कदम उठाए हैं। अगर हम पंचायती राज एक्ट 11(ए) को देखें, तो उसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन होगी और सारे प्रधान, गांव वाले और हम लोग सक्रिय होंगे। We leaders are also responsible. मैं समझता हूं कि हमने सरकार की नीतियों को लेकर यह बताया है कि कम-से-कम सभी मंदिर, सभी ट्रस्ट और सब संस्थाएं इस ओर ध्यान दें कि जिस गऊ को हमने माता का नाम दिया है, उसे इस प्रकार से छोड़ा न जाए कि वह गऊ सदन जाने के लिए बाध्य हो। इस ओर सरकार ने कार्य किया है और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। मैं समझता हूं कि संबंधित लोग उन निर्देशों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। माननीय सदस्य ने कहा कि केवल छः ही गौसदन प्रयासशील हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अभी 167 गऊ सदन अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 46 चल रहे हैं। आपने ठीक कहा है कि इनमें खजियां का गौसदन भी शामिल है। मैं समझता हूं कि जब किसी भी पंचायत में अच्छा काम होता है तो हमें उसे गिनना चाहिए और यदि अच्छा काम नहीं होता, फाईन नहीं करते या रजिस्ट्रेशन नहीं करते, आइडैंटिफिकेशन ठीक से नहीं करते तो मैं समझता हूं कि उसमें पंचायतों और हम सभी लोगों की भी भूमिका है, ऐसा मेरा मानना है।

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस प्रश्न के उत्तर के 'ख' भाग की ओर दिलाना चाहता हूं। 'ख' भाग में हमने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश में पशुओं व भेड़-बकरियों की गिनती करवाई गई है तथा प्रत्येक गऊशाला के निर्माण के लिए कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध

23.08.2016/1115/SLS-DC-2

करवाई गई; इसका ब्योरा दें। माननीय अध्यक्ष जी, 'ख' भाग के उत्तर में इन्होंने कहा है - 'जी हां'। जी हां से हमें यह समझ नहीं आ रहा कि पूरे प्रदेश में कितना पशुधन है। अगर आपने उसकी गिनती करवाई है तो क्या आप इस सदन के बीच इसका ब्रेक अप देंगे। उस ब्रेक अप में, अगर आपने गिनती करवाई है, उस गिनती में आपको यह भी मालूम हुआ होगा कि कितनी ऐसी गऊएं और बैल हैं जो लोगों ने सड़कों पर छोड़े हैं। आपने ज़िक्र किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश किए थे कि हर पंचायत के अंदर गौसदन बने और यह आदेश वर्ष 2014 के हैं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसे इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि 13वें वित्तायोग का पैसा आप इन गौसदनों को बनाने के लिए, गौसदन में चारे के लिए या किन-किन ऐक्टिविटीज के लिए दे रहे हैं। जो 13वें वित्तायोग का पैसा है, यह पैसा जिला परिषद् के सदस्यों को 50 प्रतिशत, बी.डी.सी. के सदस्यों को 30 प्रतिशत और पंचायत के प्रधानों को 20 प्रतिशत के आधार पर बांटा गया। आपको यह पॉवर्ज किसने डैलिगेट कर दी कि आपने इस पैसे को यहां से उठाकर इन गौसदनों के निर्माण के लिए दे दिया? उसमें भी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इसमें जो ब्रेक अप दिया है,उस ब्रेक अप में कांगड़ा में आपने गऊओं की संख्या गौसदनों की संख्या के हिसाब से जो दर्शाई है वह 1160 है। मण्डी में यह संख्या 1086 दर्शाई है।

जारी ...श्री गर्ग जी....

23/08/2016/1120/RG/AG/1

प्रश्न सं. 2602----क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह-----क्रमागत

और आप कांगड़ा के लिए 79.95 लाख रुपये की धनराशि दे रहे हैं एवं मण्डी में 1086 गायों के लिए 15.75 लाख रुपये की राशि दे रहे हैं। इसी प्रकार ऊना में 772 गायों के लिए 98.00 लाख रुपये, शिमला में 49 गायों के लिए 16.97 लाख रुपये और कुल्लू में 625 गायों के लिए 48.45 लाख रुपये की राशि दे रहे हैं। जो आप इस राशि का आबंटन कर रहे हैं इसके भी तो कोई मापदण्ड होंगे? क्या आप गायों की गिनती के मुताबिक पैसा दे रहे हैं? यदि वहां कोई गौसदन बन रहा है, तो क्या आप उस गौसदन को बनाने के लिए इस पैसे को दे रहे हैं? इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जैसा मैंने आपसे चाहा है, आप इसको बहुत विस्तार से बताएं। आज इन आवारा पशुओं के कारण और जो गौ माता की दुर्दशा यहां हो रही है उसको लेकर पूरा प्रदेश चिन्तित है और किसान चिन्तित हैं।

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बतलाएंगे कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम, 2006 में प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक पशुपालक अपने पशुधन का रजिस्ट्रेशन पंचायत में करवाएगा? क्या इसकी पालना पंचायतों ने की है? यदि नहीं की है, तो इसके क्या कारण रहे हैं?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि इनकी गिनती करवाई है, तो हर पांच वर्ष में पशुधन की जनसंख्या की गणना होती है। इससे पहले का सैन्सस वर्ष 2012 में किया गया था जिसकी सूचना विस्तारपूर्वक माननीय सदस्यों को दी गई है। अब जो दूसरा सैन्सस होगा, वह वर्ष 2017 में होगा। जहां तक यह प्रश्न पूछा गया है कि जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या किस प्रकार से गऊओं को रजिस्टर्ड करने के बाद उनको ठीक तरीके से नहीं लिखा गया, तो मैं समझता हूं कि वह भी एक ऐसा काम है जो सभी पंचायतों की जिम्मेवारी है और सरकार ने इस पर बहुत ही क्लीयर ऑर्डर्ज दिए हैं। जहां तक हाई कोर्ट का ताल्लुक है, तो मैं इसमें पढ़ रहा था और माननीय सदन की सूचना हेतु मैं बता देना चाहता हूं कि अभी 29 जुलाई, 2016 को हाई

कोर्ट ने जो निर्णय पारित किया है उसमें 'पशुपालन मत्स्य विभाग, भारत सरकार को हिमाचल प्रदेश में

23/08/2016/1120/RG/AG/2

गऊशालाओं के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं तथा गऊशालाओं के निर्माण से संबंधित याचिका नं. 6631/2014 जो भारत गौवंश रक्षा संवर्धन परिषद, हिमाचल प्रदेश तथा भारत सरकार व अन्य का अन्तिम रूप से इसका निपटारा भी कर दिया गया है।' क्योंकि मैं समझता हूं कि जो पहला निर्णय था कि जिसमें सभी पंचायतों में एक गौसदन बनेगा। वह व्यवहारिक न था। मैं समझता हूं कि जो यह निर्णय दिया गया है इसमें उसका निपटारा भी कर दिया गया है और जहां तक आपका प्रश्न है कि किस प्रकार से ये पैसे बांटे गए हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एरियावाईज और वहां की पशुओं की जनसंख्या इसमें देखी गई है, उसके मुताबिक ही पैसा बांटा गया है।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि पूरे प्रदेश में जितना पशुधन है क्या उसकी गिनती की गई? माननीय मंत्री जी ने कहा कि की गई है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने सूचना दी हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें तो 3,000 का आंकड़ा है। इस प्रदेश में 17,00,000 परिवार हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनमें से कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास पशुधन नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और मैंने इनसे बहुत ही स्पष्ट पूछा था कि जब पशुधन की गिनती की गई, उस गिनती को करते समय आपके पास वह ब्रेक अप होगा कि ऐसी कितनी गऊएं या बैल हैं

प्रश्न जारी
एम.एस. द्वारा जारी

23/08/2016/1125/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 2602 क्रमागत--श्री महेन्द्र सिंह जारी---
जो सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं? दूसरे, मैंने मंत्री जी से यह भी जानना चाहा था कि 13वें वित्तायोग के पैसे को आप कैसे गो-सदनों के निर्माण हेतु लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा तो तब

हो सकता है यदि जिला परिषद/बी0डी0सी0 का सदस्य ऐसा कहे या पंचायत का जो कोरम है वह कहे कि हां, इस पैसे को गो-सदन के निर्माण के लिए या गायों के चारे के लिए दे दिया जाए अन्यथा यह फैसला हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं हालांकि मुझे इस बात की भी जानकारी है कि माननीय मंत्री जी आपके पास यह विभाग नहीं है परन्तु फिर भी जब आपको आज के लिए ऑथोराइज किया गया है तो विभाग का दायित्व बनता था कि आपको पूर्ण रूप से इसकी जानकारी दी जाती ताकि हमें पता चलता कि प्रदेश के अंदर कितने ऐसे आवारा पशु हैं और उनको रखने के लिए कितने गो-सदनों की आवश्यकता है। उन आवारा पशुओं के लिए प्रतिदिन के लिए कितने चारे की आवश्यकता है क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाएंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का इतनी डिटेल में प्रश्न पूछना बिल्कुल सही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस पर काफी रिसर्च हुई है और सरकार ने इस पर बड़ा गंभीर अध्ययन किया है। हमारे गो-सदनों में 7451 पशुओं को रखने की कपैस्टी की जरूरत है जिनको बनाने की जरूरत है। Really speaking it will take some time. और एक पशु के ऊपर 56 रुपये प्रतिदिन के खर्च करने पड़ेंगे। तो उसी प्रक्रिया में जो आबंटन किया गया है The amount has been provided for construction of 167 Gausadans as per demand of the Gram Panchayats. ग्राम पंचायतों की ही डिमाण्ड पर यह पैसा बांटा गया है और इसके अनुसार ये गो-सदन बनेंगे भी। मैं इस मान्य सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वास्त करना चाहता हूं कि हमें इस ओर क्रियाशील होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जहां अच्छे काम हुए हैं उनका नाम भी तो लिया जाए। There are many Gausadans which I have seen personally whether it is in Nurpur, Solan or Mandi. I feel कि हमें उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि ये प्रक्रिया ऐसी ही पकड़ी जाए और यह एक ऐसा रूप ले कि सभी लोग इस ओर ध्यान दें। ऐसा मेरा मानना है।

23/08/2016/1125/MS/AG/2

अध्यक्षः श्री वीरेन्द्र कंवर जी बोलिए। महेन्द्र सिंह जी आप अपने आप ही उठकर बोलने लग जाते हैं।

श्री वीरेन्द्र कंवरः अध्यक्ष जी, गांव के अंदर स्थिति बड़ी गम्भीर है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 166 की संख्या दी है जो निर्माणाधीन हैं ये कितने समय के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे? दूसरे, मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग गो-सदन जो चल रहे हैं उनको ही चारा उपलब्ध करवाया जाता है तो क्या जो आगे 166 गो-सदन खोले जाएंगे उनको भी चारा उपलब्ध करवाया जाएगा? तीसरे, पहले भी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ये जो चारा विभाग द्वारा दिया जाता है इसमें बहुत ज्यादा हेराफेरी होती है। यह कहा जाता है कि 100 क्विंटल चारा दिया जाता है लेकिन उसके बाद 50 या 60 क्विंटल ही वहां पहुंचता है और उसमें भी रेत मिक्स होता है। मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि जो आप सब्सिडी चारे के ऊपर देते हैं ये एग्जिस्टिंग गोशालाओं में पशुओं की संख्या को देखते हुए या तो ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जाए या फिर उनको सीधी राशि उपलब्ध करवाई जाए और बीच में विभाग को शामिल न किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में आश्वासन चाहता हूं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है इसको मैं यहां पढ़ देना चाहता हूं कि गोशालाओं के चारे हेतु really speaking कोई प्रावधान नहीं है परन्तु पशु पालन विभाग द्वारा और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे गो-सदनों में भूसा और चारा उपलब्ध करवाने हेतु गोशालाओं को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 में इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये की राशि का प्रावधन था जिसमें से 22.50 लाख रुपये भूसा और तूड़ी उपलब्ध करवाने हेतु व्यय किए जा चुके हैं तथा

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

23.08.2016/1130/जेके/एएस/1

प्रश्न संख्याः 2602ः----------जारी------

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः------जारी-----

तथा बाकी बची राशि का उपयोग शीघ्र कर लिया जाएगा। वर्ष 2016-17 के लिए भी इस योजना के अन्तर्गत 50 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है इस राशि का विवरण गऊ सदनों में पाले जा रहे पशुओं की संख्या के आधार पर जिलों के उप-निदेशक पशु स्वास्थ्य प्रजनन के माध्यम से भूसा-तूड़ी प्रदान करने हेतु किया जाता है। अभी जो माननीय सदस्य ने अन्तिम प्रश्न पूछा है कि सीमा निर्धारण की जाए कि गऊ सदन 167 बनें। मैं समझता हूं कि ये भी हमारी अपनी इच्छा शक्ति है। हम लोगों को प्रधान के लैवल पर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये तो कम से कम एक साल के अन्दर बन जाने चाहिए। इसलिए ये 167 गऊ सदन क्यों नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे।

प्रश्न समाप्त।

23.08.2016/1130/जेके/एएस/2

प्रश्न संख्याः 2708

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर मिला है उसके मुताबिक वर्ष 2015-16 में सरकार की नीतियों और विज्ञापन कार्यक्रमों में 6,18,54,398/-रूपये खर्च हुए। जो विभागशः माननीय मंत्री जी ने यहां पर बताए हैं उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। अगर हम इसको एनालाईज करें तो क्रम संख्या 10 पर पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए 20 हजार रूपये का विज्ञापन सारे साल के लिए दिया गया। यह पैसा तो चाय पार्टी में ही खर्च हो गया होगा। क्रम संख्याः 6 पर श्रम एवं रोजगार के लिए 1,64,191/-रूपये का खर्च किया है। यह खर्च कौन डिसाईड करता है, इसके लिए क्या मापदण्ड है ? अगर आपने विभागों को आबंटित बजट में से यह राशि खर्च करनी है तो इसके लिए क्या मापदण्ड है और किस मापदण्ड के मुताबिक यह पैसा खर्च होना चाहिए? दूसरे, इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? क्या यह विभाग पर ही छोड़ दिया जाता है? विभाग अपनी

मर्ज़ी से विज्ञापन निकाले या अपनी मर्जी से करें या कोई सेन्ट्रल ऐजैंसी है जो इनको मॉनिटरिंग करती है कि किसको कितना खर्चा करना है? अगली बात यह है कि यह खर्चा किन-किन माध्यमों से किया जाता है? कौन-कौन सी ऐसी ऐजैंसी है जिनके द्वारा सरकार इस खर्चे को करती है? साथ में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विज्ञापनों द्वारा जो विभाग विज्ञापन देते हैं उससे क्या उनकी परफोरमैंस पर कोई फर्क पड़ता है? क्या इसके लिए आप कोई सर्वे करते हैं कि इतना खर्चा विज्ञपनों पर हुआ तो उससे क्या कोई ठीक रिजल्ट निकले या नहीं निकले उसकी परफोरमैंस पहले से बैटर हुई या नहीं हुई? मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना भी खर्चा हुआ है उसकी सूचना हमने यहां पर रख दी है। सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग उसका मतलब ही यह है कि जनता तक सूचना पहुंचाना सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना इसके लिए विशेष तौर पर डिपार्टमैंट का गठन किया गया है। आपने यहां पर देखा होगा कि जो बाकी डिपार्टमैंट की सूचना दी गई है यह आपके प्रश्न को

23.08.2016/1130/जेके/एएस/3

देखते हुए हमने दूसरे डिपार्टमैंट से मंगवा कर आपको दी है। हमारा प्रश्न तो केवल सूचना एवं जन-सम्पर्क तक ही था कि सूचना एवं जन-सम्पर्क ने कितना खर्चा किया है? लेकिन आपने सरकार से पूछा था तो इसलिए हमने अन्य विभागों से भी सूचना मंगवाई है। सरकार में दो-तीन विभाग ही ऐसे हैं जिनके पास पब्लिसिटी का प्रॉपर बजट है। जिसमें से एक सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग है जिसको सरकार बजट देती है। उसके अलावा टूरिज्म के पास कुछ पैसा है और कुछ पैसा हैल्थ डिपार्टमैंट के पास है। इनके अलावा बाकी विभागों के पास पब्लिसिटी हैड में कोई ज्यादा पैसा नहीं होता है। जैसा कि आपने यहां पर कहा कि ये ऑफिस एक्सपैंस से ही अपना काम चलाते हैं। बीच में से थोड़ा-बहुत पैसा निकाल करके किसी ने 20 हजार खर्च कर लिया किसी ने 40 हजार रूपया खर्च कर लिया तो जो

इनका ऑफिस एक्सपैंस है उसमें से ही ये काम चलाते हैं। अन्यथा मुख्य काम सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग करता है और सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो पैसा खर्चा है जैसे कि बहुत ज्यादा पैसा हमें नहीं मिल पाया है। लेकिन जो प्रश्न आपने किया है मैं इसी प्रश्न में माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा है। आप हमें पैसा मुहैया करवाईये क्योंकि अभी तक हमें बहुत अच्छी राशि नहीं मिली है जो यहां पर आई है। आप हमें पैसा दें ताकि हम सारे डिपार्टमैंट्स के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें।

अगला प्रश्न श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

23.08.2016/1135/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 3009

अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री राकेश कालिया जी, अनुपस्थित।

23.08.2016/1135/SS-AS/2

प्रश्न संख्याः 3046

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए 15 परसैंट नौकरियों का प्रावधान किया है। मगर मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि सरकार 15 परसैंट नौकरियां तो देती है, उनको एप्वाइंटमैंट लैटर दे दिये जाते हैं लेकिन उनकी प्लेसमैंट होने में महीनों लग जाते हैं जबकि उस एप्वाइंटमैंट लैटर पर लिखा होता है कि they have to be placed within 15 days after the receipt of the letter. परन्तु वह 15 डेज़ का 15 मंथ्स भी हो जाता है। एक तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि आप सुनिश्चित करें कि उनकी प्लेसमैंट टाइमली हो।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, सैनिक 35 से 40 साल की ऐज़ ग्रुप में रिटायर हो जाता है और ये जो 15 परसैंट नौकरियां मिलती हैं इनमें वेटिंग टाइम 5 साल के करीब होता है। जब वह अराऊंड 45 होता है तो आप उसको लैटर देते हैं कि उसको प्लेस कर दिया। You put

him on contract basis for 7 years. By that time he already attained the age of 46-47 years. He has been left only with 7 to 8 years of regular service. उसके बाद वह रिटायर हो जाता है। He doesn't get the full benefit of the State Government service. लास्ट टाइम मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी ने एश्योरैंस दी थी कि इस एनॉमली को दूर करेंगे लेकिन वह दूर नहीं हुई है। That's still stands. May I request to the Hon'ble Minister, through you, Sir, being an Ex-serviceman to kindly look into the matter. I hope you will do justice to them.

अंतिम बात यह है कि डिफैंस फोर्सिज़ में सर्विस के दौरान डिफैंस के सारे आदमी फील्ड में रहते हैं। परिवार से दूर रहते हैं। बुरा हाल होता है, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। लेकिन जब आप रिटायरमैंट के बाद उनको नौकरी देते हैं तो उन्हें ट्राईबल में भेज देते हैं। यहां भी उनका बुरा हाल है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि कम-से-कम जब आप उनको प्लेस करते हैं तो उन्हें घर के नज़दीक नौकरी दें ताकि they may live with their families. तो क्या सरकार इसके बारे में गम्भीरता से सोचेगी?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि under the strong leadership of Raja Virbhadra Singh Ji, our Sainik Welfare Department has never been neglected.

23.08.2016/1135/SS-AS/3

इसीलिए आपने देखा होगा कि we have Director; we have all the Deputy Directors except one, which will also be filled soon. Secondly, the available vacancies are 2140; out of these 1000 vacancies have been received in the last three months. आपने देखा होगा कि 723 वकैंसीज़ का तीन सालों में फिल होना मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बड़ी भारी उपलब्धि है और पूरे प्रदेश के लिए शान का विषय भी है। बात रह गई राज्य सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को न भरे जाने का मूल कारण क्या है, which probably you have also touched upon in your Question is basically when it comes to doctors, when it comes to assistant engineers, when it comes to teachers, those who are not having the requisite

qualifications, are really not in a position to have that post tenable by them. That is one reason despite that

...continued in English by DC

23.8.2016/1140/AV/DC/1

Social Justice and Empowerment Minister continues:

I think our department has given a real good thing with our new Director coming to us and with our Secretary, Sainik Welfare. Both of them are retired Officers like me and they have given to the Department the real push up. The point which you told me that there is a gap of 7 to 8 years left, I quite agree with you. This question is still in my mind and I am sure as we progress further that anomaly will be removed. But I also want to inform the House, in the entire Government we have almost 40 thousand vacant posts. More than 20 thousand have been created and 20582 vacant posts have been filled for the last 3 years. This impact is also on the Sainik Welfare also because that is why these posts are being filled up so fast . **The point given by you about the gap will be looked into.** Thank you.

23.8.2016/1140/AV/DC/2

प्रश्न संख्या : 3338

श्री संजय रतन (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं और यह आश्वासन भी चाहता हूं कि इसके लिए वर्ष 2009 में 40 लाख रुपये सैंक्शन किए गए हैं। विभागों से कब तक एन0ओ0सीज0 ले लिए जायेंगे और इसका काम कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि एफ0आर0यू0 सलूणी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और उसके लिए 2.18 बीघा जमीन राजस्व विभाग की चिन्हित कर दी है। उसके लिए प्रोसैस शुरू कर दिया गया है। अगर उसकी ऐक्सपैंशन की जरुरत पड़ती है तो उसके साथ ही ऐनिमल हसबैंडरी की जमीन भी उपलब्ध है। अभी यह केस डी0सी0 चम्बा के पास पैंडिंग है और जैसे ही सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो जायेगी निश्चित तौर पर इसका काम शीघ्रातिशीघ्र शुरू कर दिया जायेगा। उस वक्त का जो 94.17 लाख रुपये का स्टैंडर्ड ऐस्टिमेट था उसके लिए ऐडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी गई है। यह जमीन जैसे ही हैल्थ डिपार्टमैंट के नाम पर परिवर्तित होगी हम इसका काम जल्दी -से-जल्दी शुरू कर देंगे।

23.8.2016/1140/AV/DC/3

प्रश्न संख्या : 3339

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि नशे के कारण हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से सूचना दी गई है। अगर आप उपलब्ध करवाई गई सूचना को देखेंगे तो यहां पर नशीले और मादक पदार्थों के केवलमात्र चार महीनों में ही 274 मामले दर्ज किए गए। यदि आप एक साल की ऐवरेज निकालेंगे तो यह 1200 या 1500 के मध्य बनती है। इसके अतिरिक्त आपने यह भी कहा है कि 320 व्यक्तियों को इन 274 अभियोगों में गिरफ्तार किया गया है, 55 के चलान हुए है और 219 मामले अभी विचाराधीन है। लेकिन आपने जो सूचना प्रश्न के 'ग' भाग में उपलब्ध करवाई है उसमें आपने यह तो लिखा है कि 133 किलोग्राम चरस, 10 किलोग्राम अफीम, 230 ग्राम हीरोइन, 302 ग्राम चूरा पोस्त, 6.39 किलोग्राम गांजा, 0.004 ग्राम स्मैक, 50181 नशे की गोलियां, 29689 कैप्सूल और 889 बोतलें कोडैक्स और कोरैक्स की पाई गई है। मगर इससे भी आगे अगर आप हमारे बोर्डर एरिया को देखेंगे तो वहां पर 'चिट्टा' नाम का मादक पदार्थ भी पाया जा रहा है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

23/08/2016/11.45/TCV/DC/1
प्रश्न संख्या 3339 क्रमागत ---
श्री रविन्द्र सिंह--- जारी--

इसके बारे में विभिन्न समाचार पत्रों में भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही जो ट्रक ड्राईवर्ज़ चलते हैं, उन ट्रक ड्राईवर्ज़ को भरतगढ़ और आनन्दपुर साहिब के अगल-बगल के जितने ढ़ाबे/रेडियां हैं, वहां पर भी एक 'भुक्की' नामक मादक पदार्थ खाने को मिलता है। ये सारे मामले इसमें दर्ज़ नहीं किये गये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि चिट्टे के अलावा ऐसे कितने मादक पदार्थ हिमाचल के बॉर्डर एरियाज़ में पाया जा रहे हैं? साथ ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय आपने इन मामलों की जो सूची पूरे प्रदेश की उपलब्ध करवाई है, उसमें आपने देखा होगा कि जितना हमारा बॉर्डर का एरिया है, सबसे ज्यादा मामले वहां पाये गये हैं। नूरपुर से पावंटा साहिब तक के एरियाज़ में सबसे ज्यादा मामले पाए गए है। दूसरा, पर्यटक स्थल या मन्दिरों के नज़दीक आपको पुलिस की चौकसी ज्यादा बरतनी पड़ेगी। अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, आप देखते होंगे कि आपके विधान सभा क्षेत्र में न्युगल कैफ़े से हनुमान मन्दिर तक पालमपुर शहर की एक बैल्ट ऐसी बन गई है कि जहां जितने अडिक्टिड लोग हैं और स्कूल के 10 या 12 साल के बच्चे वहां पर पार्कों या मन्दिरों में दोपहर और शाम को पाये जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपको इसके लिए पूरे प्रदेश के अन्दर एक अभियान चलाना पड़ेगा। ताकि इन क्षेत्रों में जो पयर्टक स्थल हैं, मन्दिर हैं, 10+2 के स्कूल हैं,उनके नज़दीक जितने ढ़ाबे खुले हैं, आपको वहां पुलिस की चौकसी ज्यादा बरतनी पड़ेगी। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि सीनियर सैकेन्डरी स्कूल थुरल में, वहां एक छोटी-सी स्टेशरी की दुकान से तीन लाख रूपये की फ्ल्यूड एक साल में बेची गई। थुरल एक छोटा-सा स्थान है, एक सब-तहसील है। छोटे-छोटे एक-दो दफ़्तर वहां पर होंगे। तीन लाख की फ्ल्यूड की शीशियां एक साल में बिकना अपने आप में एक गम्भीर विषय है। मैंने आज से दो साल पहले भी कहा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस आदत को हम छुड़ा तो नहीं सकते हैं लेकिन चौकसी ज्यादा

कर सकते हैं। थानों को गाड़िया दे रखी है, वह रात को घूमते हैं, एक साईड से गए और दूसरी साईड को निकल

23/08/2016/11.45/TCV/DC/2

गए। इसके लिए पूरे जिलों में आप एक टीम का गठन करें और जो टीमें आपने बनाई है, उनके क्या परिणाम आये हैं? उनके ऊपर आप ध्यान देंगे, ऐसा मैं चाहता हूं।

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय आपने यहां पर स्टेटमैंट भी दी थी। क्या सरकार ने ड्रग्ज़ एण्ड कॉस्मैटिक अधिनियम-1940 की धारा 18 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है? क्या सरकार वह संशोधन करने जा रही है?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। आज हमारे पड़ौसी राज्य इससे ग्रस्त हैं और हिमाचल प्रदेश में भी इसका (ड्रग्ज़) इस्तेमाल एक गम्भीर समस्या है। लेकिन सरकार इसके बारे में सर्तक है और हर मुमक़िन कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा है कि पिछले दिनों के अन्दर ही पुलिस ने कई छापे मारे हैं और नूरपुर में पंजाब के बार्डर पर जो एक बड़ा मकान था, उसको तोड़ दिया गया। वह ड्रग्ज़ बनाने और स्मगल करने की फैक्टरी थी। उसको तोड़ने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। आज जो ये समस्या है यह अफ़ीम की ही नहीं है, बल्कि कई किस्म की ड्रग्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां तक अफ़ीम को पैदा करने का प्रश्न है या उससे ड्रग्ज़ बनाने का प्रश्न है, उसके ऊपर सरकार सख्ती से अमल कर रही है। चाहे मलाणा है या दूसरे क्षेत्र हैं जहां अफ़ीम पैदा की जा रही है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और वहां पर सरकार इसको सख्ती से खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज भी सारे प्रदेश के अन्दर 'भांग को उखाड़ने' का अभियान चला है।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

23/08/2016/1150/NS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3339 क्रमागत।

मुख्य मंत्री --------जारी

सारे प्रदेश में सभी स्कूलों के विद्यार्थी, कॉलेज स्टूडैंटस और नागरिक बड़े पैमाने पर जगह-जगह जा करके भांग को उखाड़ रहे हैं। ये सिम्बोलिक नहीं है, यह एक मुहिम है और इस बूटी को हम जड़ से खत्म कर रहे हैं। इस अभियान में भारी मात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि people are aware of it and they are voluntarily coming forward to uproot this plant. यह एक अच्छी बात है और इसके कई dimensions हैं। यह कहीं दवाई के रूप में, गोलियों के रूप में और कहीं कैप्सूल के रूप में आती है। हम इसको हर तरफ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज के समय में अगर कोई सबसे बड़ा मसला हमारे सामने है तो वह यही है और इसको जड़मूल से उखाड़ने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार चाहती है कि इस काम में पक्ष हो या विपक्ष, सारी जनता इसको एक जन-आन्दोलन के रूप में अपनाए और तब तक चैन न लें जब तक कि this menace is finished forever in our State. इसके लिए कानून में भी संशोधन किया जा रहा है। जहां-जहां इसको रोकने के लिए सख्ती करने की जरूरत है, इसको किया जाएगा। हम देखेंगे We will spare no effort at all to see that this menace is not only reduced but it is eliminated from the State forever.

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय, ने बतलाया कि भांग उखाड़ने का अभियान चला है। यह अभियान लगभग पांच जिलों में चला हुआ है। लोगों ने जो अवैध रूप से अपने खेतों में भांग बीज़ी हुई है, उसको उखाड़ा जा रहा है। जबकि तुलनात्मक दृष्टि से इससे कई गुणा ज्यादा भांग सड़कों के किनारे, शहरों के किनारे और यहां तक कि पुलिस स्टेशन्ज़ के अगल-बगल तथा सरकारी जंगलों में उगी हुई है। उस भांग को कोई नहीं उखाड़ रहा है। (Interruption) Let me complete, Sir. सत्यता यह है कि इसमें ज्यादा यील्ड होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो यह उगी हुई भांग है क्या इसको उखाड़ने के लिए कोई प्रावधान किया जाएगा?

23/08/2016/1150/NS/AG/2

दूसरा, यह भी एक कटु सत्य है कि आपके चौहार और मलाणा के क्षेत्र में आय के कोई स्त्रोत नहीं है। उन जगहों में जहां भांग उखाड़ी जा रही है और वहां पर आय का भी कोई स्त्रोत नहीं है, क्या सरकार द्वारा उनके लिए कोई रिहैब्लिटेशन प्रोग्राम बनाया गया है ताकि वे लोग वहां जड़ी-बूटी पैदा करके अपनी आजीविका का प्रबन्ध कर सकें? क्या सरकार की इस प्रकार की कोई योज़ना है?

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। नम्बर एक, जो मैं कह रहा हूं कि भांग को उखाड़ने का जो अभियान चलाया गया है यह सिर्फ प्राईवेट ज़मीन तक ही महफूज़ नहीं है, यह अभियान हर जगह पर चलाया गया है। यह अभियान शहरों, गांवों , खलियानों और जहां पर भी भांग की वॉइल्ड ग्रोथ है, वहां पर चला हुआ है। यह एक ऐसा पौधा है जो हर कहीं पैदा हो जाता है। यह पौधा जहां पर भी है इसको उखाड़ा जाएगा and we will not stop till this mission is completed. That is number one. दूसरा, आपने जो मलाणा क्षेत्र का ज़िक्र किया है कि वहां के लोग अपनी आय के लिए भांग की खेती पर निर्भर रहते हैं तो क्या उनको रिहैब्लिटेट करने के लिए कोई और तरीका अपनाया गया है? बिल्कुल अपनाया गया है। आज वहां पर उन्नत किस्म के फल पैदा हो सकते हैं। बहुत दरखेज़ ज़मीन है। सिंचाई की सुविधा भी है, पानी भी है और हवा भी ठीक है और हमने यह कहा है कि वहां best type of apples जो अभी हमने बाहर से पौधे import किए हैं, अब इन पौधों को मलाणा और ऐसे क्षेत्रों में किसानों को दिए जाएंगे और उनकी मदद इन पौधों की प्लांटेशन करने में की जाएगी ताकि उनको इससे अतिरिक्त आय हो।

श्री महेश्वर सिंहः माननीय मुख्य मंत्री जी उस क्षेत्र में जड़ी-बूटी हो सकती है परन्तु वहां पर सेब नहीं होगा क्योंकि वहां पर हॉईट इतनी है कि वहां पर सेब पैदा नहीं हो सकता है। वे लोग वहां पर जड़ी-बूटी पैदा करें और महंगी किस्म की पैदा करें तो क्या इस प्रकार का कोई कार्यक्रम उनके लिए बनाया जाएगा?

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

23/08/2016/1155/RKS/AG/1

प्रश्न संख्याः3399...जारी

मुख्य मंत्रीः वैसे लोग भांग को भी बूटी कहते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर सेब लग सकता है वहां पर सेब लगाया जाए, जहां पर नाशपाती लग सकती है वहां नाशपाती, जहां पर सब्जियां पैदा की जा सकती है वहां पर सब्जियां पैदा की जाए और जहां फूल पैदा किए जा सकते हैं वहां फूल लगाए जाएं They must be given alternative source of income so that we can win them away from this and they follow some other vocation to earn their livelihood. I can assure you that the Government is very serious about it. As of today, this is number one programme of this Government to eliminate this menace from the State. I beseech the wholehearted cooperation of the Opposition Parties and also Opposition in this matter.

23/08/2016/1155/RKS/AG/2

प्रश्न संख्याः 3340

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से जब से हम इस विधान सभा में आए हैं तब से हमेशा यह चर्चा रहती थी कि मैगल में नमक पर आधारित उद्योग स्थापित हो रहा है। इसके लिए आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी ने विदेशों के दौरे भी किए। अध्यक्ष महोदय, हम भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने यह प्रपोजल मांगी और हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 11.03.2016 को यह प्रपोजल भारत सरकार को भेजी। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार शीघ्र ही इस कारखाने को स्थापित करेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने एडिशनल लैंड मांगी है, जो कि तकरीबन 286 एकड़ है और इस भूमि को हम बीघों में मापें तो यह साढ़े 3 हजार बीघा बनती है। क्या आपने यह सारी की सारी भूमि साल्ट माइन को ट्रांसफर कर दी है? दूसरी बात यह है कि जो रॉयल्टी गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से स्टेट गवर्नमैंट को मिलेगी क्या उसके हिसाब से वहां

के स्थानीय लोगों को जो इस नमक का उपयोग सदियों से करते आ रहे थे उन्हें सस्ते दरों में यह नमक उपलब्ध करवाएंगे?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न का सवाल है इसके लिए सरकार की तरफ से जो कुछ किया जाना था, वह प्रदेश सरकार ने समय-समय पर किया। हमने 20 फरवरी, 2014 को हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड को एल.ओ.आई. जारी कर दिया था और उसके बाद दिनांक 22.07.2016 को लीज़ ग्रांट भी कर दी थी। श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस इश्यू पर श्री कौल सिंह ठाकुर जी लगातार बात करते रहते हैं। माननीय सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी यहां बैठे हुए हैं, इनकी भी इस विषय पर गम्भीर रुचि है। हमारे सब कुछ करने के उपरान्त, एकल खिड़की से क्लीयरैंस व लीज़ ग्रांट करने के बावजूद भी रॉक साल्ट का काम अभी तक कॉरपोरेशन ने शुरू नहीं किया है। आप बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछेंगे इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

23.08.2016/1200/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3340.. जारी

माननीय उद्योग मंत्री ...जारी

जो यह कार्पोरेशन है, इसकी वित्तीय स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। यह प्लांट 230 करोड़ रुपये का लगना है जबकि इनके पास हमारे 23.18 लाख रुपये देने के लिए भी राशि नहीं हैं। वह बार-बार कहते हैं कि एम.पी. साहब हम पर दवाब डाल रहे हैं और हमें वहां जाना पड़ रहा है। हमारा जो शुरुआती थोड़ा-बहुत पैसा है, हम उसको भी इग्नोर कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हम सारी परमीशन्ज दे रहे हैं। हमने 100 बीघा लैंड की परमीशन इनको दे दी है। आप कह रहे हैं कि इनको और लैंड भी दे दी जाए। लेकिन जो

पैसा इस प्रोजैक्ट पर लगना है, उस कार्पोरेशन को पहले कुछ पैसा दिल्ली से मुहैया तो करवाएं ताकि वह यहां पर पैसा लगा सकें। अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो यह सब काम कागज़ों में ही रहेगा। आपकी जो मंशा है, चाहे वह माननीय गुलाब सिंह जी की है, चाहे कौल सिंह जी की है, चाहे एम.पी. साहब की है, जब तक इस कार्पोरेशन के पास पैसा नहीं होगा, यह प्रोजैक्ट नहीं लग पाएगा और वह मंशा पूरी नहीं होगी। हमने परमीशन्ज दे दी हैं, LOI भी दे दिया है और ग्रांट भी दे दी है। 230 करोड़ रुपये का बंदोबस्त आप करवाएं, सरकार से जो आप कहेंगे वह हम करेंगे।

Question Hour Over

23.08.2016/1200/SLS-AS-2

<u>कागज़ात सभा के पटल पर</u>

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्यमंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे। (व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आसन का और इस माननीय सदन का ध्यान मैं एक अत्यंत गंभीर छपी ख़बर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप पहले नोटिस दीजिए, उसके बाद देखेंगे। (व्यवधान)

(सदन में दोनों ओर के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने तो दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अमर ऊजाला सहित अन्य सभी समाचार-पत्रों में और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में भी ख़बर आई है जिसमें लिखा है कि वीरभद्र के ख़िलाफ़ चार्जशीट तैयार। आय से अधिक संपत्ति मामले में

सी.बी.आई. ने जांच पूरी कर ली है। महोदय, यह बहुत ही गंभीर मसला है। (व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहें। मुझे अनुमति मिली है। (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप पहले नोटिस दीजिए। फिर मैं देखूंगा कि यह मामला यहां रखने योग्य है या नहीं। (व्यवधान) No, not at all. This is wrong. (Interruption). Please, sit down.

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी चार्जशीट से नहीं डरता। इससे पहले भी जब प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार यहां पर थी तो दो दफ़ा मैंने सैशन ट्रॉयल फेस किया है और मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूं। इस मामले को भी मैं निपटूंगा। Because this is politically motivated. I am not afraid of these charges. I can't be cowed down by these sects. I will face them with force.

Speaker : This matter cannot be taken up now. This is wrong. You can't wave out the paper. You are waving these papers. You are not authorized to do it. This is not the matter to be discussed now.

जारी ...श्री गर्ग जी

23/08/2016/1205/RG/AS/1

-----(**व्यवधान**)------

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।)

<u>कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे</u>

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 14 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः-जी0ए0डी0-

सी0(पीए)4-2/2003 दिनांक 10.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.08.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम इनकी निन्दा करते हैं इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, प्रदेश के विकास में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और इनका केवल मात्र एक ही इशु कि श्री वीरभद्र सिंह जी को बदनाम करना है। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया है जब कुछ नहीं हुआ, तब ये बाहर जा रहे हैं।

23/08/2016/1205/RG/AS/2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब समितियों के प्रतिवेदन होंगे। अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही फल पौध पोषण तथा पौध संरक्षण योजनाओं के आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति का **26वां मूल प्रतिवेदन** जोकि प्रदेश में संचालित समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग** से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन में पुनः वापस आ गए।)

23/08/2016/1205/RG/AS/3

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा एक निजी मामला है और जो मेरे खिलाफ या मेरे ऊपर कुछ लोगों के द्वारा राजनीति उत्पीड़न किया जा रहा है, उससे मैं डरने वाला नहीं हूं। इससे पहले भी मैंने इसको फेस किया है। जैसा मैंने पहले कहा कि जब प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी पहले दो बार मुख्य मंत्री थे, तो दोनों बार उन्होंने मेरे खिलाफ क्रिमीनल केस फायल किया। मैंने सैशन कोर्ट में ट्रायल फेस किया। I was honorably acquitted by the courts और उसके बाद यह मामला क्रिकेट ऐसोसियेशन को लेकर हुआ है। हमने अपनी डियुटी की है। I will keep on doing my duty as long as I am the Chief Minister.

और मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह सारा माल क्रिकेट ऐसोसियेशन को पिछली सरकार ने large tracks of land फूस के हिसाब से दिया।

श्री रवीन्द्र सिंह : यह आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ----(व्यवधान)----

मुख्य मंत्री : आप बैठिए। चलिए, कोई बात नहीं है। यह जमीन क्रिकेट ऐसोसियेशन को दी। हालांकि देने का तरीका गलत था, मैं उसको भी छोड़ देता हूं। इन्होंने कहा कि हम क्रिकेट ऐसोसियेशन के लिए एक पांच सितारा होटल बनाना चाहते हैं क्योंकि बाहर के लोग

आएंगे, बाहर के खिलाड़ी आएंगे और दरख्वास्त की गई, पट्टा दिया गया, दिखाया गया बंजर कदीम बिना दरख्तान और आज उस जमीन पर होटल बनकर तैयार है और 1500 दरख्त उसमें खड़े हैं। यह फैक्ट है। This is a fact. ----(व्यवधान)----ठहरिए।----(व्यवधान)-----अध्यक्ष महोदय, यही नहीं है, मेरे खिलाफ (***) साजिश की है।।। accuse on the Table of the House. एक साजिश करने के बाद क्या आपने कभी सुना है कि एक ही मामला तीन-तीन एजेन्सीज़ इनवेस्टीगेट करें? इनकम टैक्स में अभी मेरा फैसला नहीं हुआ। वहां पर केस चला हुआ है, सी.बी.आई. भी इसको देख रही है और ई.डी. भी इसको देख रही है।

एम.एस. द्वारा जारी

(***) माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

23/08/2016/1210/MS/DC/1

मुख्य मंत्री जारी-------

और तीन-तीन एजैंसीज एक ही चीज को देखें तो यदि यह witch hunting नहीं है तो क्या है? I am not afraid of that. I have full faith in the Majesty of the Law. I am sure when the matter will come up, I am going to fight till the end. I am going to expose all these people and their defacing activities behind the curtain. सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि I will face it and I will fight it. और अंत में क्या होता है कि सच्चाई की ही जीत होती है। जो ये आज एक्यूज कर रहे हैं इनके मुंह काले हो जाएंगे। -(व्यवधान)-

Speaker: No discussion regarding this. This matter cannot be discussed here.

मुख्य मंत्री: जो अखबार इनको शह दे रहे हैं और इस मामले को उछाल रहे हैं उनका भी मुंह काला हो जाएगा।

Speaker: We are here to save the time of the House. Let us proceed with the Agenda. We have got Agenda and we should proceed with that. No discussions please.

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, हमारी बात भी रिकॉर्ड में आनी चाहिए।

Speaker: Please no discussions here.

श्री कुलदीप कुमारः आप लोगों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया है फिर आप क्या बोल रहे हैं?

श्री सुरेश भारद्वाजः तो क्या हुआ अगर सदन से चले गए थे। अब हम आ भी तो गए हैं। -(व्यवधान)-

अध्यक्षः इसमें कोई चर्चा नहीं होगी और यह मैटर टेकअप नहीं होगा।

मुख्य मंत्रीः भारद्वाज जी कुछ तो शर्म करो भाई। पंडित जी महाराज।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, हमारी बात भी सुन लीजिए।

अध्यक्षः अब आप लोग बस कीजिए। अखबार से आपने कोई बात की और उसका जवाब आपको दे दिया है। This matter is not to be taken up. यह मैटर टेकअप नहीं होगा।-(व्यवधान)-

23/08/2016/1210/MS/DC/2

संसदीय कार्यमंत्रीः अभी इस मामले का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। -(व्यवधान)-

Speaker: Not at all. Please sit down. -(interruption)- .कृपया आप लोग (दोनों पक्षों की ओर इशारा करते हुए)बैठ जाइए। जो आपने बात पूछी उसका जवाब दे दिया है और बात खत्म हो गई। This is not to be taken up. यह मैटर सदन में डिसकस नहीं होगा। इसका कोई एजेंडा नहीं है। आपने जो बात की है उसका जवाब हो गया है और बात खत्म हो गई है

श्री सुरेश भारद्वाजः जो मुख्य मंत्री जी ने कहा है उसको एक्सपंज किया जाए।

मुख्य मंत्रीः क्यों एक्सपंज किया जाए? यह यहां एक्सपंज नहीं होगा और जनता के दिमाग से भी कभी यह एक्सपंज नहीं होगा, समझ गए आप? इसका आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। I will tell this matter to the people of Himachal Pradesh.

Speaker: Any matter which is sub-judice cannot be disscued in this House. Please sit down. यह मैटर सब-ज्यूडिस है इसलिए इसको टेकअप न कीजिए। Please

no discussion regarding this. आपने कोई सवाल पूछा तो उसका जवाब दे दिया है। Sub-judice matters cannot be disscued here. -(interruption)-.

मुख्य मंत्रीः एक कहावत है कि चोर का गवाह डड्डू।

Speaker: No discussion regarding this. This is sub-judice matter and it cannot be discussed here.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी की बात रिकॉर्ड में आ गई है इसलिए हमारी बात भी तो रिकॉर्ड में आनी चाहिए।

Speaker: Please, no discussion regarding this. -(व्यवधान)- अब क्या है? यह मैटर सब-ज्यूडिस है और इसको हम यहां पर डिसकस नहीं कर सकते। This is sub-judice matter and it cannot be discussed here. आपने जो बात पूछी उसका जवाब मुख्य मंत्री जी ने यहां दे दिया है।

(दोनों पक्षों के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

अध्यक्षः कृपया आप सब (दोनों पक्षों की ओर इशारा करते हुए)बैठ जाइए।-(व्यवधान)-

मुख्य मंत्रीः हमने आपको कुछ नहीं कहा। हमने महेश्वर सिंह जी को जवाब दिया जोकि नया-नया मुसलमान है। -(व्यवधान)-

अध्यक्ष श्री जे0एस0 द्वारा----

23.08.2016/1215/जेके/डीसी/1

....(व्यवधान)...

Speaker: I must request you please . I must request everybody that since the matter is sub-judice this is not to be put in for discussion here. Kindly sit down**.....(व्यवधान)...** आप लोगों को क्या करना है? यह मैटर डिस्कस नहीं होगा। यह मैटर सब-ज्युडिस है यहां पर डिस्कस नहीं होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी।

....(व्यवधान)...

Chief Minister: He has walked out Sir. He has walked out -(interruption)-You have walked out.

Speaker: You sit down. -(interruption)-

Chief Minister: (***) तोड़ दे, फोड़ दे, उठा दे। ...-(interruption)- (***)

Speaker: You sit down. This is not the way. -(interruption)-. I will get you out.

...-(interruption)-

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह से नारे लगाने लगे)

Speaker: This is not the thing. Why are you insisting? This matter is not to be discussed here.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप आ कर नारे बाजी करने लगे)

....(**व्यवधान**)...

(***) माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

23.08.2016/1215/जेके/डीसी/2

<u>सांविधिक इकाई हेतु मनोनयन</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों के मनोनयन बारे प्रस्ताव करेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "That in pursuance of the Statute 8(1)(ix) of the Statutes of the Himachal Pradesh University, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do

proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the members of the Himachal Pradesh University Court for a period of three years commencing from the date of publication of their being as members of the H.P. University court in the notification subject to other provisions of the said statutes."

Speaker : This will not be discussed here.

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "That in pursuance of the Statute 8(1)(ix) of the Statutes of the Himachal Pradesh University, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the members of the Himachal Pradesh University Court for a period of three years commencing from the date of publication of their being as members of the H.P. University court in the notification subject to other provisions of the said statutes."

प्रस्वाव स्वीकार।

23.08.2016/1215/जेके/डीसी/3

<u>विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मंत्री, दिनांक 19 फरवरी, 2014 को पुरःस्थापित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 5) को वापिस लेने बारे प्रस्ताव करेंगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

23.08.2016/1220/SS-AG/1

शहरी विकास मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस माननीय सदन में दिनांक 19 फरवरी, 2014 को पुरःस्थापित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 5) को वापिस लिया जाये।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 5) को वापिस लिया जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 5) को वापिस लिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 5) वापिस हुआ।

23.08.2016/1220/SS-AG/2

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा। अब श्री महेन्द्र सिंह जी नियम-62 के अन्तर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। श्री महेन्द्र सिंह जी। --(व्यवधान)--

उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सदन में आज की घटना निंदनीय है। अध्यक्ष महोदय, आगे की कार्यवाही करने से पहले जो आज इस सदन में घटित हुआ है इसमें आपका फैसला आना चाहिए।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गए।)

Speaker: I am sorry that a particular Hon'ble Member has damaged the property of the House and this amount to contempt of the House. They have damaged the property. This is contempt of the House. This is not the way to behave like a Member. (Interruption) This is not the way to behave like a

Member. You can raise a point, but you cannot damage the property of the House.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करने लगे।)

महेन्द्र सिंह जी, आप बोलिये। --(व्यवधान)--

23.08.2016/1220/SS-AG/3

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री नियम-317 के अन्तर्गत वर्ष 2014 में चार वर्ष के बालक युग के अपहरण व कत्ल बारे वक्तव्य देंगे।

जारी श्रीमती ए0वी0

23.8.2016/1225/AV/AG/1

Chief Minister: Hon'ble Speaker, Sir, I want to give a statement on very important issue.

The brief facts of the case are that one Shri Vinod Gupta reported on 14.06.2014 at PS Sadar, Shimla that his son Yug, aged about four years was missing from his residence. Immediate efforts were made by the Police, but the child could not be traced anywhere in the vicinity and a criminal case was registered on 16.06.2014 at PS Sadar, Shimla.

Preliminary investigation of this case was carried out by PS Sadar, Shimla. On 27.06.2014 a ransom letter was received demanding Rs. 3.60 crores. Subsequently, three more ransom letters were received.

The case was transferred to State CID, Crime Branch on 14.08.2014.

The Narco Analysis Test of servants of Shri Gupta revealed that his neighbour Chander alias Kaku could have kidnapped Yug for ransom.

During investigation the rented house of Shri Chander was searched by a team of Forensic Experts and CID where sufficient evidence was found. After the confessional statements of suspects, the skeleton of Yug was found near a water tank at Bharari which is being sent for forensic examination including DNA profiling.

Three accused, namely, Chander Sharma, Tejinder Pal Singh and Vikrant Bakshi have been arrested.

Further investigation is continuing and action would be taken as per law.

अध्यक्ष : अब इस मान्य सदन की बैठक कल बुधवार, दिनांक 24 अगस्त, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 23 अगस्त, 2016 **सचिव ।**